

08-04-21

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकरण उपर है।
मूल वाद में वकील उरुवारी द्वारा प्रस्तुत गान
पर अंतर्गत 0-7, 8-11 जांच की स्वीकार होकर वाद
वाचि का खासिज हो चुका है, अतः पत्रावली
में अब औचित्य न होकर स्वतः खासिज योग्य
है। जो पत्र पत्रावली औचित्यहीन होने से खासिज
की जाती है। पत्रावली के तल सुधार होकर नंबर
में कम होकर दायिज रूपतर हो। विनिमय सरे
इजलास सुनाया जाकर, लिरवासा जाकर मैर
हस्ताकर व न्यायालय कृप से जाको किया
गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

